राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–25/2018 2236

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
शेखपुरा।

पटना, दिनांक– 16.5.24

विषय :– प्रखंड बरबीघा ग्राम पंचायत कुटौत के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 565 दिनांक 03.05.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि **प्रखंड बरबीघा ग्राम पंचायत कुटौत के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी अध्यपेक्षा में तथा बैठक की सूचना में अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का कारण/आरोप अंकित नहीं है, जो बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम (15)(06) के प्रावधान का उल्लंघन है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त नियमानुसार आदेश पारित करते हुए प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

15.5.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com